

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-1/उ०नि० प्रतिनियुक्त-05-06/18

आदेश

श्री मुकेश कुमार सिंह, नवनियुक्त उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान को कार्यहित में अगले आदेश तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/पटना, दिनांक

सं०सं०-1/उ०नि० प्रतिनियुक्त-05-06/18

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1484

/पटना, दिनांक 14.3.19

सं०सं०-1/उ०नि० प्रतिनियुक्त-05-06/18

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

निर्दिष्ट